# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

ीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
ार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 75 एल.आर.एक्ट
करण संख्याः 008/2016

1 सरजीत कौर पत्नी मुकुन्दसिंह पुत्र मलसिंह उर्फ मैलासिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही तहसील व जिला हनुमानगढ हाल समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

2 हरमिन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री मुकुन्दसिंह पुत्र मलसिंह उर्फ मैलासिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही तहसील व जिला हनुमानगढ हाल समेजाकोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

-:अपीलांट

बनाम्

1 नक्षत्रसिंह पुत्र मलसिंह उर्फ मैलासिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही तहसील व जिला हनुमानगढ

2 चंदसिंह पुत्र मलसिंह उर्फ मैलासिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही तहसील व जिला हनुमानगढ

3 नेतासिंह पुत्र मलसिंह उर्फ मैलासिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही तहसील व जिला हनुमानगढ

4 ग्राम पंचायत डबलीबास मिढारोही जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास मिढारोही तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ

6 प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:असल रेस्पोर्डेट्स

7 मनजीत कौर मुकुन्दसिंह पुत्र मलसिंह उर्फ मैलासिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही तहसील व जिला हनुमानगढ

-:तरतीबी रेस्पोर्डेट्स

उपस्थित :-

1. श्री रामानंद बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कुणाल गौड़ - अधिवक्ता रेस्पोर्डेट सं. 1, 3
3. एकपक्षीय कार्यवाही - रेस्पोर्डेट सं. 2, 4, 6
4. राजपैरोकार

-::निर्णय::-

दिनांक 17.02.2026

अधिवक्ता अपीलांट्स् श्री रामानंद बोहरा द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपील अपीलांट बतौर तृतीय पक्षकार उक्त वर्णित आक्षेपित इंतकाल आदेशों से प्रत्यक्षतः विपरीत रूप से प्रभावित व पीड़ित होने के कारण अनुमति अधीन प्रस्तुत कर रहा है।

यह कि सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास मिढ़ारोही/उप तहसीलदार डबली राठान द्वारा चक 4 एमओडी के खाता सं0 203/189 का इंतकाल सं. 750 दिनांक 05.05.2016 रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3 के नाम द्वारा वसीयत विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी ढंग से कर अपीलांट को उनके हक व हिस्से से वंचित किया है, जो काबिल निरस्त एवं खारिजी के है। इंतकाल व वसीयत की प्रमाणित प्रति संलग्न अपील मिमो है।

यह कि अपील के तथ्यों एवं परिस्थितियों को सरलता से समझने के लिये अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का सजरा खानदान निम्न अपील प्रार्थना पत्र में अंकित है।

यह है कि हरदयाल सिंह के तीन पुत्र श्याम सिंह, वरियाम सिंह एवं मल सिंह उर्फ मैला सिंह हुए। मल सिंह के दिनांक 21.11.13 के मृत्यु के पश्चात् उनके कानूनी व जायज वारिस पत्नी 1 चिन्तो 2. मुकन्द सिंह पुत्र 3. पुट्टो (भुट्टो) पुत्री 4. नक्षत्र सिंह पुत्र 5. गुड्डी पुत्री 6. रामप्यारी पुत्री 7. चन्द सिंह पुत्र 8. नेता सिह पुत्र 9. लक्ष्मी पुत्री कुल नौ वारिस हुए। मुकुन्द सिंह की मृत्यु दिनांक 15.03.1976 को हुई जिसके कुल तीन वारिस 1. पत्नी सरजीत कौर 2. हरजिन्द्र कौर पुत्री 3. मनजीत कौर पुत्री कुल तीन वारिस है, जो अपीलांट है।

यह कि हरदयाल सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके तीनों पुत्रों 1 श्याम सिंह 2 वरियाम सिंह 3 मल सिंह उर्फ मैला सिंह को हरदयाल सिंह की आराजी कृषि भूमि बहिस्सा बराबर औद हुई। हरदयाल सिंह की चक 4 एमओडी के खाता सं. 203/189 के प.न. 80/260 (41) के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25 प.न. 81/260 (42) के किला नं0 11 ता 14, 18 ता 23 प.न. 81/261 (43) के किला नं0 1 ता 3, 9 ता 12, 20 व 21 प. न. 80/261(44) के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 प.न. 80/262 (63) के कि.न. 3 ता 9, 12 ता 14, 18, 19, 22 कुल योग 50 बीघा अर्थात 12.650 हैक्टेयर पर नहरी/बरानी गैर मुमकिन खाला/रास्ता आराजी कृषि भूमि में हरदयाल सिंह के तीनों पुत्रों श्याम सिंह. वरियाम सिह व मल सिंह उर्फ मैला सिंह प्रत्येक को 1/3-1/3 बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। सलंग्न जमाबंदी अपील मिमो है।

यह कि अपीलांट सं. 1 के ससुर व अपीलांट सं. 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 7 के दादा मलसिंह उर्फ मैला सिंह को अपने पिता हरदयाल सिंह की मृत्यु पश्चात् उपरोक्त वर्णित आराजी में से 1/3 हिस्सा आराजी विरासतन प्राप्त पैतृक सम्पत्ती हुई।

यह कि मलसिंह उर्फ मैलासिंह हिन्दु संयुक्त परिवार का कर्ता होने के कारण उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज व गैर कानूनी ढंग से लाभ लेने के लिये एक वसियत अपने हक हिस्सा से ज्यादा सम्पूर्ण आराजी की वसीयत दिनांक 05.09.12 को उपपंजीयक हनुमानगढ़ के कार्यालय में केवल मात्र अपने तीन पुत्रों नक्षत्र सिंह को 1.532 है0, चन्द सिंह को 1.342 है0, नेता सिंह को 1.342 है0 की वसीयत अनुचित दबाब में आकर निष्पादित करवा दी एवं अन्य वारिसों को उनके हक व हिस्सा की आराजी से अमलासाज-बाज कर गैर कानूनी ढंग से वंचित कर दिया एवं रेस्पोडेन्ट ने इंतकाल गैर कानूनी ढंग से अपने नाम दर्ज करवा लिया जो निम्न आधारों पर काबिल निरस्ती के है।

अ)- यह कि वसीयत कर्ता मलसिंह उर्फ मैलासिंह को अपने पिता हरदयाल सिंह से अपीलाधीन उपरोक्त वर्णित आराजी विरासतन प्राप्त हुई थी। जिसके अकेले मलसिंह को सम्पूर्ण आराजी की वसियत निष्पादित करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। क्योंकि मलसिंह को अपने पिता हरदयाल सिंह से विरासतन प्राप्त पैतृक आराजी में मलसिंह के प्रत्येक वारिसान

का बहिस्सा बराबर हक व अधिकार जन्म से था। सम्पूर्ण आराजी का मलसिंह अकेला वसीयत निष्पादित करने का हक व अधिकारी नहीं था। अपीलाधीन इंतकाल काबिल खारिजी है।

ब) यह कि वसियत निष्पादित कर्ता ने कभी भी अपीलांट को वसियत के बारे में जानकारी नहीं दी व नहीं कभी वसियत के बारे में बताया एवं इंतकाल दर्ज कर्ता सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास मिढ़ारोही/उप तहसीलदार डबलीराठान ने अपीलांट को बिना कोई सूचना व बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये इंतकाल दर्ज कर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो की अवहेलना की है। एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर 15 दिवस का समय देकर कानूनी औपचारिकता पूरी कर जिसका अपीलांट को कोई ज्ञान व जानकारी नही थी तथा यह कहना भी न्यायोचित है कि ऐसा कोई समाचार पत्र अपीलांट के गांव में नहीं पहुंचता है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 7 को उनके हक व हिस्सा से वंचित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के नाम इंतकाल दर्ज किया है। जो गैर कानूनी एवं विधि विरुद्ध है, जो काबिल निरस्ती के है।

स) यह कि वसीयत में वर्णित आराजी कृषि भूमि पुश्तैनी पैतृक विरासतन प्राप्त सम्पत्ती की श्रेणी में आती है, जो वसीयतकर्ता मल सिंह उर्फ मैला सिह को अपने पिता हरदयाल सिंह की मृत्यु पश्चात् औद हुई थी जिस पर अकेले वसीयत कर्ता मल सिंह का कोई सम्पूर्ण हक व अधिकार नही था। पैतृक कृषि भूमि में मल सिंह के वारिसानों का हक व अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो गया था। जिसकी वसीयत मल सिंह अकेला निष्पादित नहीं कर सकता था। इसलिए वसीयत शून्य एवं प्रभावहीन दस्तावेज है। जिसके द्वारा किया गया इंतकाल काबिल खारिजी है।

(द) यह कि वसियत कर्ता की वसियत का राजस्व रिकार्ड में इंतकाल विधि विरूद्ध एवं बिना क्षेत्राधिकार के सरपंच ग्राम पंचायत मिढ़ारोही के द्वारा प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 05.05.16 इंतकाल सं. 750 दर्ज किया है, जो बिना क्षेत्राधिकार के किया गया है जो अपने आप में प्रभावहीन व शून्य है जो काबिल निरस्ती के है। रेस्पो सं. 1 ता 3 ने अपने पिता की वृद्धावस्था में सोचने समझने की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का नाजायज फायदा उठा अनुचित दबाब में लेकर वसीयत निष्पादित करवा इंतकाल दर्ज करवाया है, जो काबिल निरस्ती के है।

(य) यह कि कथाकथित वसियत के द्वारा किया गया इंतकाल पूर्णतया विधि विरूद्ध बिना कोई हक व अधिकार मिथ्या एवं कतई गलत तरीके से किया गया है, जो किसी भी वारिसान को किसी भी तरह की सूचना व जानकारी न देकर अमलासाजबाज कर विधिक तथ्यों को छुपाकर रेस्पोडेन्ट ने इंतकाल दर्ज करवाया है, जो पूर्णतया प्रभावहीन होने के कारण शून्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि वसियत निष्पादित कर्ता व वसीयत दावेदार रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 ने कभी भी वसीयत के बारे में अपीलांट को ज्ञान व जानकारी नही दी। वसीयत राजस्व रिकार्ड में अमलासाजबाज कर विधिक तथ्यों को छुपा कर इंतकाल दर्ज करवा लिया था जो काबिल खारिज के है। जिसकी अपीलांट को ज्ञान व जानकारी हल्का पटवारी से आराजी की जमाबंदी बैंक ऋण लेने के लिये जानकारी करने पर दिनांक 20.07.2016 को अपीलाधीन इंतकाल की ज्ञान व जानकारी हई थी। जिसके लिए मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र संलग्न अपील मिमो है।

यह कि अपीलांट के वसियत द्वारा राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज करने पर किसी भी प्रकार की सूचना व नोटिस नहीं दिया गया एवं अपीलांट को इंतकाल पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना कर इंतकाल विधि विरूद्ध व गैर

(IV)

कानूनी ढंग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। जिससे अपीलांट का हक व हिस्सा प्रत्यक्षता विपरीत रूप से प्रभावित एवं अपीलांट इंतकाल से सीधे रूप से पिड़ित व व्यथित हुआ है जो बतौर तृतीय पक्षकार न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर रहा है। जिसका प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी संलग्न अपील मिमो है।

यह कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 ने अपीलाधीन आराजी का इंतकाल अपने नाम गैर कानूनी व विधि विरूद्ध ढंग से करवा लिया है जिसका रहन, बैय व अन्तरण करने पर आमादा है दीगर व्यक्तियों को आराजी का ग्राहक बना रखा है। यदि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 अपने मकशद में कामयाब हो जाता है तो अपीलांट को न पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं अपील का मकशद ही खत्म हो जायेगा व मुकदमेबाजी बढेगी। जिसके लिए अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया हुआ है। यदि कोई अपीलाधीन आराजी को ऋण व रहन करता है तो उसके हक व हिस्सा से ही कानूनन वसूली की जावे।

यह कि यदि अपील हाजा में मल सिंह का वारिस वादग्रस्त आराजी में हक व हिस्सा रखता है तो वह पक्षकार बनकर अपील में कार्यवाही कर सकता है। इसके लिए अपीलांट को कोई ऐतराज नहीं है।

यह कि अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जावेगे जो अपील हाजा के भाग समझे जावे।

यह कि अपील श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार की है जो उचित कोर्ट फीस पर ज्ञान व जानकारी से अन्दर मियाद है जो श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास मिढ़ारोही के द्वारा प्रस्ताव सं. 2 इंतकाल सं. 750 दिनांक 05.05.2016 चक 4 एमओडी के खाता सं. 203/189 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज इंतकाल को खारिज कर अपीलांट के हक व हिस्सा को दर्ज करने के आदेश करे

अपील प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र वकील अपीलांट ने पेश किया जिसमें अपीलाण्ट ने निवेदन किया है कि अपीलाधीन इंतकाल के विरूद्ध अपील 30 दिवस में प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी लेकिन प्रार्थीया को इस इंतकाल तस्दीक किये जाने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीया द्वारा हल्का पटवारी से अपनी विरास्तन आराजी की जमाबंदी आदि की प्रतियां मांगी तो सर्वप्रथम प्रार्थीया को दिनांक 20.07.2016 को यह ज्ञान हुआ कि यह भूमि रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 ने अपने नाम से दर्ज करवा ली है, प्रार्थीया द्वारा हल्का पटवारी से दिनांक 20.07.2016 को अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी मिलते ही आज बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है। चूंकि अवैधानिक व क्षेत्राधिकार विहीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने में मियाद की कोई विधिक वर्जना नहीं है। जिससे यह अपील पेश करने में हुई देरी मात्र ज्ञान का अभाव व सही विधिक राय मशविरा नहीं मिलने का कारण रहा है। जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की गई है। जिससे यह अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है व अपील पेश करने में हुए देरी क्षमा करने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

साथ ही अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपीलांट को उक्त वर्णित नामान्तकरण सं. 750 दिनांक 05/05/2016 चक 4 एमओडी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही।

» अपील प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोडेंटस सं. 1, 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री कुणाल गौड़

(12)

वकालतनामा प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 का पेश करते ये अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 3 ने कथन किया कि यह कि दफा 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित ख्य झूठे व गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम पर वकील स्पोर्डेट ने सख्त एजराज जाहिर करते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का पेश कर वकील रेस्पोर्डेट ने कथन किया है कि श्नगत इंतकाल जरिये वसीयत सही एवं कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुये किया गया है जेसमें अपीलार्थी को कोई हिस्सा देय नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिज खारिजी है। अपील ार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए खारिज योग्य है। अतः जवाब ार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र अपीलान्ट मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा पील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट श्री रामानंद बोहरा व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 3 श्री कुणाल ौड़ को दौराने बहस सुना गया। रेस्पोर्डेट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम र एतराज किया गया व अपील प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम, प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सुनी गयी। रेस्पोंडेट अधिवक्ता ने आरआरटी 2017 (2), आरआरटी 2022-23 जनकराज बनाम नत्थाकुमारी नजीरे पेश की। उक्त नजीरों का गहराई से व ससम्मान अध्ययन किया गया।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है।

1 अपील में वर्णित भूमि जमाबंदी संवत 2069-2072 खाता सं. 203/189 में वरयाम सिंह-मेलासिंह पि. हरदयाल सिंह हिस्सा 2/3 व जगसीर सिंह-करनैल सिंह पि. श्यामसिंह हिस्सा 1/3 तादादी 12.650 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। खातेदार मैलासिंह फौत होने के उपरांत जरिये वसीयत नामान्तकरण सं. 750/05.05.2016 खातेदार मैलासिंह का हिस्सा 1/3 अर्थात 4.216 हैक्टेयर अराजी का अन्तरण रेस्पोर्डेट नक्षत्रसिंह 1.532 हैक्टेयर, चन्दसिंह 1.342 हैक्टेयर व नेतासिंह को 1.342 हैक्टेयर अराजी अन्तरित हुई है। उक्त विवरण उक्त जमाबंदी में अंकित नोट से व प्रमाणित नामान्तकरण सं. 750 दिनांक 05. 05.2016 द्वारा साबित है। पत्रावली में मौजूद प्रमाणित प्रति खतौनी डबलीबास मिढारोही संवत 2004 जिसमें खसरा/मिन सं. 33 में दर्ज तादादी 7 बीघा 9 बिस्वा व खसरा/मिन सं. 136/57 में 42 बीघा 11 बिस्वा तादादी 50 बीघा भूमि हरदयाल वल्द हीरा जाति बावरी के नाम दर्ज रिकार्ड है जो अवलोकनिय है। उक्त खतौनी में दर्ज रकबा 50 बीघा प्रमाणित जमाबंदी ग्राम मिढारोही संवत 2013-2016 में श्यामसिंह-वरयामसिंह-मालासिंह पि. हरदयाल सिंह ब.हि.ब. तादादी 50 बीघा दर्ज रिकार्ड रहा है। दुसरे अधिवक्ता रेस्पोर्डेट द्वारा फॉर्म 3 के साथ प्रस्तुत सनद सं. 24023 में चक 4 एमओडी का प.न. 80/260 कि.न. 14 ता 17,

24, 25 कुल 6 बीघा प.न. 80/261 कि.न. 1 ता 4, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल 11 बीघा प.न. 80/262 कि.न. 3 ता 9, 12 ता 14, 18, 19, 22, 23 कुल 14 बीघा महाकुल 31 बीघा भूमि श्यामसिंह-वरयामसिंह-मलसिंह पि. हरदयालसिंह के नाम कीमतन आवंटित होने का अंकन है। शेष 19 बीघा भूमि से सबंधित दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है जबकि संपूर्ण भूमि अर्थात 50 बीघा प्रमाणित प्रति खतौनी डबलीबास मिढारोही संवत 2004 जिसमें खसरा/मिन सं. 33 में दर्ज तादादी 7 बीघा 9 बिस्वा व खसरा/मिन सं. 136/57 में 42 बीघा 11 बिस्वा तादादी 50 बीघा भूमि हरदयाल वल्द हीरा जाति बावरी के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। अपीलान्ट उक्त इन्तकाल जैर अपील से विपरीत रूप से प्रभावित है व अपीलान्ट उक्त इन्तकाल जैर से व्यथित होकर उक्त वर्णित बिन्दूवार अपील प्रस्तुत की गई है।

2 अपीलाण्टस ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया है कि इंतकाल जैर अपील दर्ज करने से पूर्व अप्रार्थी सं. 4 ग्राम पंचायत ने अपीलांट को काई सूचना नहीं दी व अपीलांट की गैर हाजिरी में नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसका अपीलांट को कोई ज्ञान नहीं था। अपीलाण्टस जब पटवारी हल्का से जमाबंदी लेने गया तब अपीलांट को नामान्तकरण दर्ज होने का ज्ञान हुआ है। यह अपील ज्ञान के अंदर दिवस है। अपीलांट को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है इसलिए मियाद के बिंदू की विधिक वर्जना नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर एजराज व्यक्त कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

चक 4 एमओडी नामान्तकरण सं. 750 दिनांक 05.05.2016 की चित्रप्रति का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत डबलीबास मिढारोही द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है।

आर.आर.टी 2002 (1) पेज 649 राजस्थान सरकार बनाम श्योचंद आदि में माननीय उच्च न्यायालय ने व आर.आर.टी 2004 (1) पेज 375 प्रेमचंद बनाम कमला बाई में अभिनिर्धारित किया है कि विलंब उपशमन पर विचार करते हुए सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए, यदि मेरीट पर प्रकरण है तो विलंब माफ कर देना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के अन्तर्गत हालांकि अपीलांट प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं है लेकिन चूकि वसीयत से प्रभावित पक्षकार स्व. मुकुन्दसिंह की पत्नी होने के नाते प्रभावित है इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार करना उचित है।

3 यह स्वीकृत तथ्य है कि जमाबंदी संवत 2069-2072 खाता सं. 203/189 में वरयाम सिंह-मेलासिंह पि. हरदयाल सिंह हिस्सा 2/3 व जगसीर सिंह-करनैल सिंह पि. श्यामसिंह हिस्सा 1/3 तादादी 12.650 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। खातेदार मैलासिंह मौत होने के उपरांत जरिये वसीयत नामान्तकरण सं. 750/05.05.2016 खातेदार मैलासिंह

का हिस्सा 1/3 अर्थात 4.216 हैक्टेयर अराजी का अन्तरण रेस्पोर्डेट नक्षत्रसिंह 1.532 हैक्टेयर, चन्दसिंह 1.342 हैक्टेयर व नेतासिंह को 1.342 हैक्टेयर अराजी अन्तरित हुई है।

पत्रावली में संलग्न प्रमाणित प्रति खतौनी डबलीबास मिढारोही संवत 2004 जिसमें खसरा/मिन सं. 33 में दर्ज तादादी 7 बीघा 9 बिस्वा व खसरा/मिन सं. 136/57 में 42 बीघा 11 बिस्वा तादादी 50 बीघा भूमि हरदयाल वल्द हीरा जाति बावरी के नाम दर्ज रिकार्ड है जो अवलोकनिय है। उक्त खतौनी में दर्ज रकबा 50 बीघा प्रमाणित जमाबंदी ग्राम मिढारोही संवत 2013-2016 में श्यामसिंह-वरयामसिंह-मालासिंह पि. हरदयाल सिंह ब.हि.ब. तादादी 50 बीघा दर्ज रिकार्ड रहा है। दुसरे अधिवक्ता रेस्पोर्डेट द्वारा फॉर्म 3 के साथ प्रस्तुत सनद सं. 24023 में चक एमओडी का प.न. 80/260 कि.न. 14 ता 17, 24, 25 कुल 6 बीघा प. न. 80/261 कि.न. 1 ता 4, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल 11 बीघा प.न. 80/262 कि. न. 3 ता 9, 12 ता 14, 18, 19, 22, 23 कुल 14 बीघा महाकुल 31 बीघा भूमि श्यामसिंह-वरयामसिंह-मलसिंह पि. हरदयालसिंह के नाम कीमतन आवंटित होने का अंकन है। शेष 19 बीघा भूमि से सबंधित दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है जबकि संपूर्ण भूमि अर्थात 50 बीघा प्रमाणित प्रति खतौनी डबलीबास मिढारोही संवत 2004 जिसमें खसरा/मिन सं. 33 में दर्ज तादादी 7 बीघा 9 बिस्वा व खसरा/मिन सं. 136/57 में 42 बीघा 11 बिस्वा तादादी 50 बीघा भूमि हरदयाल वल्द हीरा जाति बावरी के नाम दर्ज रिकार्ड रही है।

जमाबंदी संवत 2069-2072 खाता सं. 203/189 में वरयाम सिंह-मेलासिंह पि. हरदयाल सिंह हिस्सा 2/3 व जगसीर सिंह-करनैल सिंह पि. श्यामसिंह हिस्सा 1/3 तादादी 12.650 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी खाता से खातेदार मैलासिंह फौत होने के उपरांत जरिये वसीयत नामान्तकरण सं. 750/05.05.2016 खातेदार मैलासिंह का हिस्सा 1/3 अर्थात 4.216 हैक्टेयर अराजी का अन्तरण रेस्पोर्डेट नक्षत्रसिंह 1.532 हैक्टेयर, चन्दसिंह 1.342 हैक्टेयर व नेतासिंह को 1.342 हैक्टेयर अराजी अन्तरित हुई है जबकि मैलासिंह के वारिस (मुताबिक सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास मिढारोही द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र) स्व. मुकुन्दसिंह या इनके वारिस को मैलासिंह के नाम दर्ज आराजी 4.216 हैक्टेयर में से कोई रकबा अपील जैर नामान्करण में प्रदान नहीं किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास मिढारोही द्वारा जारी चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 06.02.2008 में मुकुन्दसिंह पुत्र मलसिंह के वारिस के तौर पर अपीलांट सं. 1 सरजीत कौर अपीलांट सं. 2 हरिजन्द्र कौर व रेस्पोर्डेट सं. 7 मनजीत कौर के वारिस होने का अंकन किया गया है। अपीलांट्स् एवं रेस्पोर्डेट सं. 7 स्व. मुकुन्दसिंह के वारिस होने के नाते अपील जैर नामान्तकरण सं. 750 से प्रभावित पक्षकार है। अतः न्यायालय के अभिमत में रेस्पोर्डेट्स् अपील जैरकार नामान्तकण में विवर्णित संपूर्ण भूमि को स्व-अर्जित साबित करने में असफल रहे है। इसलिए उक्त नामान्तकरण में विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि दृष्टिगोचर होती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नामान्तरण संख्या 750 विधि विरूद्ध होने तथा त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित करना उचित होगा कि संबधित पक्षकारों को सुनवाई का

(15)

अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी भली-भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलम्ब काल को माफ किया जाता है। ग्राम चक 4 एमओडी नामान्तकरण सं. 750 दिनांक 05.05.2016 विधि विरूद्ध होने तथा त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ/उप तहसीलदार डबलीराठान को निर्देशित किया जाता है कि संबधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ